to the importers etc. does not arise. Further, sub-standard vaccines are not made use of in the Imunisation Programme.

Price control of the drugs used under child and maternal health programme

311. SHRI M. KADHARSHA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 3046 given in the Rajya Sabha on the 9th December, 1987 and state:

(a) whether it is a fact that Ferrous Sulphate, Folic Acid and Vitamin A are the only drugs used under Child and Maternal Health Programme;

(b) whether it is also a fact that according to the Drug Policy all drugs required for National Health Programme will be covered under category I; and

(c) if so, the reasons that these drugs have not been recommended for price control under category I by the Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (KUMARI SAROJ KHAPARDE): (a) to (c) Drugs generally used for Mother and Child Health Programme are Ferrous Sulphate, Folic Acid, Vitamin A and Oral Rehydration Salt.

Inclusion of Drugs under Category I depends on several factors such as exclusive use of these drugs for the particular health programme or programmes.

नवोदय विद्यालयों का खोला जाना

312. **श्री सोहन लाल धूसिया :**
श्री सुरेश कलमाडी :

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवोदय विद्यालय खोलने का निर्णय कब लिया गया था तथा कब से इन विद्यालयों के लिए अध्यापकों का चयन प्रारंभ किया गया ;

(ख) क्या प्रत्येक जोन में इन प्रत्येक विद्यालयों के लिए अध्यापकों का चयन कार्य पूरा हो चुका है ;

(ग) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों/आदिवासियों और अल्पसंख्यक वर्गों के अध्यापकों की संख्या इन विद्यालयों में इस प्रकार के अध्यापकों के लिए निर्धारित कोटे से कम है ; यदि हां, तो सरकार ने इस कमी को दूर करने के लिए आज तक क्या-क्या कदम उठाए हैं ; और

(घ) क्या इस संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० शाही) : नवोदय विद्यालय समिति फरवरी, 1986 में स्थापित की गयी थी । अध्यापकों की प्रारम्भिक भर्ती 1986–87 में की गयी थी ।

(ख) वर्ष 1988–89 के लिए अध्यापकों की भर्ती का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ) इस समय अध्यापकों की भर्ती केवल प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाती है । नियमों के अन्तर्गत, जहां भर्ती नियुक्ति के आधार पर की जाती है, ऐसा कोटा निर्धारित नहीं किया जाता है फिर भी स्थायी रूप से खपाते समय, आरक्षण आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा ।